ग्राम पंचायत सासन, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सासन, विकास खण्ड हमीरपुर , जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया । अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र. सं.	**नाम**	**अवधि**
1	श्री नरेश कुमार	01.04.13 से 22.01.16
2	कुमारी राखी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र. सं.	**नाम**	**अवधि**
1	श्री जय किशन	01.04.13 से 31.03.16

(ख) <u>गम्भीर अनियमितताओं का सार</u>:-

ग्राम पंचायत सासन के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	**पैरा सं०**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	4.3& 4.4	पंचायत राजस्व बैंक में जमा न करना	0.08
2	4.5	हस्तगत राशि जमा न करना	0.02
3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.35
4	6	पंचायत निधि का संभावित गवन/दुरुपयोग	0.08
5	8	पंचायत निधि का संभावित गवन/दुरुपयोग	0.40

6	9	अनुदान का उपयोग न करना	2.70
7	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.19
8	12	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	2.74
9	13	नियंत्रण अधिकारी की अनुमति के बिना रसीदों को रदद करने बारे	1.28
10	14	पंचायत निधि को बैंक में जमा न करना	0.40
11	15	व्ययों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे	1.82
12	17	खाता ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज खाता क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित न करना	-

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सासन, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल , अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 22.07.16 से 26.07.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	05/2013	07/2013
2014-15	05/2014	10/2014
2015-16	06/2015	05/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत सासन, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

(हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 68 दिनांक 26.07.16 द्वारा अनुरोध किया गया। अतः अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4 <u>वितीय स्थिति</u> :-

ग्राम पंचायत सासन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत सासन के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	4727	77388	82115	36268	45847
2014-15	45847	105701	151548	137533	14015
2015-16	14015	74528	88543	59539	29004

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत सासन के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	132819	1240968	1373787	1301519	72268
2014-15	72268	1803513	1875781	1826323	49458
2015-16	49458	1225699	1275157	1004757	270400

4.1 <u>बैंक समाधान विवरणी</u> :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 29004/-

दिनांक 31.03.16 को बैंक खाते में शेष : ₹ 16941/-

(KCCB- 24449)

<u>Add</u>

1. Cheques deposited into bank but not collected
   Cheque/Receipt No. 92694 Dated 01.10.12 ₹ 3700/-
   Cheque/ Receipt No. 63360 or 63374 Dated 09.08.14 ₹ 3700/-
2. ₹ 834/-shown as deposited in Cash Book p-76 on 22.11.14 collected vide Receipt No. 63388 & 63389 but not deposited ₹ 834/-
3. Cash in Hand on 31.03.16 ₹ 1858/-
4. Difference (Cash in Hand) ₹ 1971/-

अनुदान :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 270400/-

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹ 270400/-

बैंक खाता संख्या	राशि
Indira aavas Yojna KCCB 57758	2810
General Fund KCCB 86202	373
MNREGA KCCB-78393	94
13TH FC PNB 58603	267023
Cash in Hand	100
कुल राशि	**270400**

4.2 <u>रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना</u> :-

ग्राम पंचायत सासन की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 जांच में पाया कि रसीद संख्या 92694 दिनांक 01.10.12 द्वारा ₹ 3700/- एवं रसीद संख्या 63360/63374 दिनांक 09.08.14 द्वारा ₹3700/-, कुल ₹7400/- की राशि प्राप्त की गई थी लेकिन पंचायत के बैंक खाते (स्व स्त्रौत) में जमा नहीं की गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली दण्ड ब्याज सहित उचित स्त्रौत से करके पंचायत खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

4.4 जांच में पाया कि रसीद संख्या 63388 एवं 63389 दिनांक 22.11.14 द्वारा ₹ 834/- की राशि प्राप्त की गई थी लेकिन पंचायत के बैंक खाते (स्व स्त्रौत)में जमा नहीं की गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली दण्ड ब्याज सहित उचित स्त्रौत से करके पंचायत खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

4.5 जांच में पाया कि दिनांक 31.03.16 को स्व स्त्रौत की रोकड़ वही में ₹1971/- की राशि हस्तगत रूप में कम दर्शाई गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 169 दिनांक 26.07.16 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई अतः इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत के खाते में जमा करना

सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

5 **पंचायत राजस्व ₹ 34900/- की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-**

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹34900 /- की वसूली शेष थी ।

1 गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	800	23950	24750	0	24750
2014-15	24750	24550	49300	24100	25200
2015-16	25200	26550	51750	21350	30400

जांच में पाया कि दिनांक 01.04.13 को प्रारम्भिक शेष में बार्ड संख्या 4 व 5 (रजिस्टर संख्या 10) के गृहकरदाताओं से बकाया राशि को ही लिया गया था जबकि बार्ड संख्या 1,2 एवं 3 के गृहकरदाताओं की बकाया राशि की जांच हेतु रजिस्टर संख्या 9 जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे इस बात की पुष्टि न हो सकी कि बार्ड संख्या 1 से 3 तक के ग्रहकरदाताओं से कितनी राशि बकाया थी। अतः यदि बार्ड संख्या 1 से 3 तक के गृहकरदाताओं से कर की राशि बकाया है तो उस राशि को भी प्रारम्भिक शेष मे जमा करके उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

2. गृहकर के रूप में ₹4500/- की कम मांग व वसूली करना :-

जांच में पाया कि वर्ष 2012-13 में परिवार रजिस्टर में कुल 530 परिवार पंजीकृत थे एवं इसके पश्चात परिवार रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था अतः वर्ष 2013-14 व 2014-15 में गृहकर की गणना वर्ष 2012-13 के परिवार रजिस्टर के आधार पर ही की गई थी । अतः परिवार रजिस्टर जो कि पंचायत का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है , को तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में ₹ 4500/- की कम मांग व वसूली करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें । कम वसूली का विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	वर्ष 2012-13 में पंजीकृत परिवार	गृहकर की मांग के परिवार की संख्या	गृहकर के कम मांग के परिवार	गृहकर की दर	गृहकर की कम मांग व वसूली गई राशि
2013-14	530 परिवार	479 परिवार	51 परिवार	50/-	2550
2014-15	530 परिवार	491 परिवार	39 परिवार	50/-	1950

3. मोबाइल टावर की फीस के रख-रखाव का रजिस्टर तैयार न करना :-

जांच में पाया कि पंचायत में मोबाइल टावर की फीस के रख-रखाव संबन्धित रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जिससे इस बात का पता नहीं चल सका कि मोबाइल कम्पनियों से कितनी राशि फीस के रूप में बकाया थी। अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67 दिनांक 25.07.16 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था । जिसके सन्दर्भ मे पत्र संख्या शून्य दिनांक 26.07.16 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि पंचायत में कुल 5 कम्पनियों के टावर स्थापित हैं एवं यह टावर लगभग 10 वर्ष पूर्व लगे थे लेकिन इनके रख-रखाब संबन्धित कोई अभिलेख तैयार नहीं किए गए थे। अतः मोबाइल टावर की फीस के रख-रखाब का रजिस्टर तैयार करके बकाया राशि से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4. जांच में पाया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 07.07.12 से श्री सुरेश जाजु को पंचायत भवन का कुछ भाग किराए पर दिया था लेकिन इसके किराए का कोई भी लेखा-जोखा नहीं रखा गया था जिस कारण से इस बात का पता नहीं चल सका कि किराये की कितनी राशि बकाया थी। अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67 दिनांक 25.07.16 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके सन्दर्भ मे पत्र संख्या शून्य दिनांक 26.07.16 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि पंचायत का एक कमरा ₹ 1200/- मासिक किराये पर दिया गया था लेकिन इसका कोई रख-रखाब नहीं रखा गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं किराये का रजिस्टर तैयार करके किराएदार से शेष वसूली योग्य किराये की राशि से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

5. भू- राजस्व की वसूली न करना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में भू- राजस्व की वसूली नहीं की गई थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा बकाया भू- राजस्व की वसूली करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

6 **₹ 8480/- की राशि का संभावित गवन**

जांच में पाया कि अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के दौरान अपने स्त्रौतों से आय के रूप में प्राप्त ₹8480/- की राशि पंचायत के खाते में जमा नहीं किए गए थे जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 169 दिनांक 26.07.16 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था लेकिन अंकेक्षण के दौरान कोई भी कार्यवाही नहीं की गई अतः कम जमा राशि बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली दण्ड ब्याज सहित उचित स्त्रौत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। कम वसूली का

विवरण निम्नलिखित है :

रोकड़ वही पृष्ठ	रसीद संख्या	वसूल की गई राशि	जमा करवाई गई राशि	कम जमा राशि
-	623250	500	-	500
-	63313 दिनांक 12.07.13	50	-	50
-	63378 दिनांक 04.11.14	1200	-	1200
-	63399 दिनांक 04.03.15	2500	-	2500
75	63401 से 63482 दिनांक 23.11.14	4100	3800	300
76	63801 से 63900 दिनांक 23.11.14	4970	4900	70
-	63910 दिनांक 22.05.15	2400	-	2400
-	64054 दिनांक 08.06.15	1200	-	1200
87	64023 से 64053 दिनांक 08.06.15	1550	1500	50
-	64055 दिनांक 08.06.15	50		50
-	64069 दिनांक 08.06.15	10	-	10
-	64071 दिनांक 08.06.15	100	-	100
-	64401 से 64500 दिनांक 08.07.15	5050	5000	50
	कुल राशि			**8480**

7 <u>दण्ड ब्याज के रूप में ₹ 818 /- की वसूली करने बारे :-</u>

जांच में पाया कि ₹26550/- की राशि दिनांक 23.03.16 को पंचायत में विभिन्न स्त्रौतों से एकत्रित की गई थी लेकिन यह राशि 2 माह पश्चात दिनांक 24.05.16 को पंचायत के बैंक खाते एवं रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 100 में जमा किए गए थे जो कि अनुचित एवं अनियमित है एवं ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवधि में इस राशि का दुरुपयोग किया गया था। अतः इस राशि को निर्धारित अवधि में बैंक खाते में जमा न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा दण्ड ब्याज के रूप में ₹ 818 /- की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत के खाते जमा करना सुनिश्चित करें। दण्ड ब्याज का विवरण निम्नलिखित है :

रसीद संख्या	वसूली गई राशि	दण्ड ब्याज की राशि @ 18.5%
362201 से 82 दिनांक 23.03.16	4100.00	126.00
362401 से 50 दिनांक 23.03.16	2500.00	77.00
362301 से 400 दिनांक 23.03.16	5000.00	154.00

362001 से 100 दिनांक 23.03.16	5000.00	154.00
362501 से 600 दिनांक 23.03.16	4950.00	153.00
362101 से 200 दिनांक 23.03.16	5000.00	154.00
	कुल दण्ड ब्याज	**818.00**

<u>₹ 40000/- का संभावित गवन/दुरुपयोग :-</u>

8 13वें वित आयोग से अंकेक्षण अवधि में किए गए व्ययों की जांच में पाया कि दिनांक 07.06.13 को बैंक से चैक संख्या 952815 द्वारा ₹40000/- की राशि आहारित की गई थी लेकिन जांच में पाया कि रोकड़ वही में इसकी प्रविष्टि नहीं की गई थी एवं न ही इसके व्यय से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस राशि को आहारित करके इसका गवन/दुरुपयोग किया गया था। अतः इस राशि को आहारित करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹40000/- की वसूली दण्ड ब्याज सहित उचित स्त्रौत से करके पंचायत के संबन्धित खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

9 **<u>अनुदान ₹ 2.70/- लाख का उपयोग न करना :-</u>**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1**) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹270400/- उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

10 **<u>निर्माण कार्यों को बिना प्राक्कलन तैयार किए करवाना:-</u>**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 /- व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था । निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी

तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये।

11 <u>औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 2.19 /-लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-</u>

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) , 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹219404 /- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 <u>₹ 2.74 /-लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-</u>

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने , जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-4** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹273960/- की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था , जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार खपत सहित भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें तथा अनुपलना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

13 <u>नियंत्रण अधिकारी की अनुमति के बिना रसीदों को रदद करने बारे :-</u>

जांच में पाया कि निम्नलिखित रसीदों को नियंत्रण अधिकारी की स्वीकृति के बिना रदद किया गया था जिससे रसीदों को रदद करने के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी एवं इस प्रकार रदद की गई रसीदों के दुरुपयोग की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। अतः वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। रदद रसीदों का विवरण निम्नलिखित

है :-

क्र.सं.	रसीद संख्या	राशि	टिप्पणी
1	63317 दिनांक -	50000.00	-
2	63318 दिनांक -	50000.00	-
3	63361 दिनांक -	5400.00	-
4	63362 दिनांक -	5400.00	-
5	63355 दिनांक -	17500.00	-
6	63051 दिनांक -	50.00	-
7	63072 दिनांक -	50.00	-
8	63076 दिनांक -	50.00	-
कुल राशि		**128450.00**	

14 **<u>₹40300/- की राशि बैंक में जमा न करना :-</u>**

जांच में पाया कि पंचायत में एकत्रित निम्नलिखित राशि का लेखांकन रोकड़ वही में किया गया था लेकिन यह राशि बैंक में जमा नहीं की गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली दण्ड ब्याज सहित उचित स्त्रौत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

क्र.सं.	रसीद संख्या	राशि	रोकड़ वही पृष्ठ	टिप्पणी
1	63390 दिनांक 23.12.14	20000.00	79 दिनांक 23.01.15	निदेशक, पशु पालन विभाग
2	63393 दिनांक 23.12.14	50.00	79 दिनांक 28.01.15	दान
3	63385 दिनांक 23.12.14	1200.00	78 दिनांक 29.12.14	किराया
4	63391 दिनांक 23.12.14	4050.00	79 दिनांक 09.01.15	वेतन जल वाहक
5	- दिनांक 21.08.15	15000.00	91 दिनांक 21.08.15	निदेशक, पशु पालन विभाग
कुल राशि		**40300.00**		

₹ 181956/- व्ययों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे :-

15 जांच में पाया कि निम्नलिखित भुगतान विभिन्न तिथियों को पंचायत निधि से किये गये थे लेकिन इन भुगतानों से संबन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न करवाना पचायती राज वित नियम 2002 के नियम 47(1)(2) की भी स्पष्ट अवहेलना है। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹181956/- के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि मे जमा करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। भुगतानों का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	निधि का नाम	वाउचर संख्या	राशि	रोकड़ वही पृष्ठ संख्या	कार्य का नाम
1.	13th F.C.	33 दिनांक 18.10.14	8215.00	74	-
2.	MNREGA	बिल सं. 8 दिनांक 03.10.14	19000.00	-	वर्षा जल संग्रहण टैंक, श्री बिशन दास
3.		बिल सं. 10 दिनांक 03.10.14	10992.00	-	वर्षा जल संग्रहण टैंक, श्री रविन्दर कुमार
4.		बिल सं. 7 दिनांक 03.10.14	22000.00	-	-do-
5.		बिल सं. 10.1 दिनांक 03.10.14	10992.00	-	वर्षा जल संग्रहण टैंक, श्री नरेश कुमार
6.		बिल सं. 6 दिनांक 03.10.14	11000.00	-	वर्षा जल संग्रहण टैंक, श्री धर्म चंद
7.		बिल सं. 10.3 दिनांक 03.10.14	21984.00	-	नि. सम्पर्क मार्ग संदीप कुमार के घर से शमशान घाट तक

8.		बिल सं. 9 दिनांक 03.10.14	17000.00	-	-do-
9.		बिल सं. 2 दिनांक 26.05.15	23400.00	-	वर्षा जल संग्रहण टैंक, श्री सोहन सिंह
10.		बिल सं. 206357 दिनांक 02.05.15	4397.00	-	वर्षा जल संग्रहण टैंक, श्रीमति अरुणा ठाकुर
11.		बिल सं. 4456 दिनांक 02.05.15	10992.00	-	वर्षा जल संग्रहण टैंक, श्री सोहन सिंह
12.		बिल सं. 4456 दिनांक 02.05.15	10992.00	-	वर्षा जल संग्रहण टैंक, श्री अमरीक सिंह
13.		बिल सं. 4456 दिनांक 02.05.15	10992.00	-	वर्षा जल संग्रहण टैंक, श्री अशोक कुमार
		कुल राशि	**181956.00**		

16 **<u>विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना</u> :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना।
2. अनुदान रजिस्टर
3. भण्डार रजिस्टर तैयार न करना।
4. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
5. मोबाइल टावर के रख रखाव का रजिस्टर।
6. रसीदों का स्टॉक रजिस्टर तैयार न करना।
7. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना।
8. परिवार रजिस्टर तैयार न करना।

17 **<u>खाता ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज खाता क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित न करना</u> :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार खाता- ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई के मास में खाता- क (स्व स्त्रोत) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था। लेकिन जांच में पाया कि नियमानुसार खाता- ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज को खाता- क (स्व स्त्रोत) में अन्तरित नहीं किया गया था जो कि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व व आपतिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार ब्याज की राशि को खाता- क (स्व स्त्रोत) में अन्तरित करना सुनिश्चित करें।

18 **<u>प्रत्यक्ष सत्यापन</u> :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 **<u>लघु आपति विवरणिका</u> :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

20 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(6)9/2016–खण्ड–1–5618–5621 दिनाँकः 25.10.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत सासन, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.